

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ, गाँधीनगर, जयपुर

क्रमांक:- एफ.11(3)(10)मो./ICDS/2016-17/ 13848

दिनांक: 11/2/2020

आदेश

प्रदेश में व्यापक अत्यधिक सर्दी को दृष्टिगत रखते हुए आदेश क्रमांक एफ.11(3)(10)मो./आईसीडीएस/2016-17/207187 दिनांक 30.12.2019 के द्वारा राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का समय प्रातः 10:00 A.M. से 2:00 P.M. तक के स्थान पर प्रातः 11:00 A.M. से 3:00 P.M. तक किया गया था।

अब समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का कार्य समय पूर्ववत की भांति प्रातः 10:00 A.M. से 2:00 P.M. तक 31 मार्च 2020 तक किया जाता है। तथा ग्रीष्मकालीन में (1अप्रैल से 30 सितम्बर तक) आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन समय प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे तक किया जाना पूर्व निर्धारित है।

आंगनबाड़ी सहायिका केन्द्र समय से आधा घण्टा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केन्द्र समय से 15 मिनट पूर्व आंगनबाड़ी केन्द्र पर उपस्थित रहेगी। साथ ही पर्यवेक्षक एवं कार्यकर्ता आंगनबाड़ी संचालन के बाद 2 घण्टे प्रतिदिन गृह सम्पर्क कार्य करेगी।

निदेशक

समेकित बाल विकास सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक: 11/2/2020

क्रमांक:- एफ.11(3)(10)मो./ICDS/2016-17/ 13849-14271

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीया महिला एवं बाल विकास विभाग राज्यमंत्री महोदया (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, समस्त।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, समस्त।
7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ, समस्त।
8. प्रभारी अधिकारी, निदेशालय मुख्यालय, समस्त।
9. एनलिसट-कम-प्रोग्रामर को विभागीय बैवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

10/2/2020

अतिरिक्त निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर